312

संख्याः–1806 /VI(1)/2016–07(03)/2008

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 16 सितम्बर, 2016

विषयः–जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के पुस्ताड़ी से त्याडधार खैणी ट्रैकिंग मार्ग एवं मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–339/VI/2008–03(03)/2008, दिनांक 31 मार्च, 2008 द्वारा योजना हेतु गठित आगणन ₹ 20.67 लाख में से टी0ए0सी0 वित्त द्वारा संस्तुत ₹ 17.03 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007–08 में ₹ 1.00 लाख तथा शासन के पत्र संख्या–407/VI/2008–02(09)/2008, दिनांक 23 मई, 2008 द्वारा निदेशक पर्यटन के निवर्तन पर रखी गयी धनाराशि में से परिषद द्वारा ₹ 10.35 लाख इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 11.35 लाख अवमुक्त की गयी है।

अतः आपके पत्र संख्या–174/2–68(चालू योजना)/2015, दिनांक 28 जुलाई, 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में चालू निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) में से जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के पुस्ताड़ी से त्याडधार खैणी ट्रैकिंग मार्ग एवं मेला स्थल का सौन्दर्यीकरण हेतु अवशेष ₹ 5.68 लाख **(रूपये पांच लाख अड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

i. धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

ii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

iv. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री की प्रयोग में लायी जाये।

v. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

vi. कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitoring की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

..2

vii. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आमणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

viii. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक अवश्य कर लिया जाय।

ix. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

x. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–47–निर्माण कार्य चालू–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.16092-60290 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः– /VI(1)/2016–03(03)/2008, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी टिहरी।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी टिहरी।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।